

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 4(94)नविवि/2024-11114-6442644

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

—आदेश—

राजस्थान अभियान्त्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 (उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प. 1(1)नविआ/II/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियम 24-ए के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11.07.2025 की अभिशंषानुसार निम्नांकित सहायक अभियन्ता को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अधिशाषी अभियन्ता के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल-16 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	राजेन्द्र कुड़ी		2025-2026	01.04.2025
2.	सुमित्रा कुमारी		2025-2026	01.04.2025
3.	कैलाश चन्द जांगिड		2025-2026	01.04.2025
4.	सुमनेश कुमार यादव		2025-2026	01.04.2025
5.	प्रदीप कुमार		2025-2026	16.05.2025
6.	मनीष रोटवाल		2025-2026	30.05.2025
7.	जगदीश छंगाणी		2025-2026	01.07.2025
8.	मानसिंह जोनवाल	SC	2025-2026	01.02.2026

उपरोक्त अभियन्ताओं की पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त अभियन्ता अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश कुमार-1)
शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- आयुक्त/सचिव, समस्त न्यास/प्राधिकरण को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से।
- प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- संबंधित अधिकारी को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से।
- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-तृतीय